# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
## पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
## राजस्व वाद संख्या 81/2016

सुल्तान पुत्र मल्ला जाति मेहरात निवासी ग्राम करवाई तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....वादी

**बनाम**

1. रामा पुत्र राजू जाति मेहरात निवासी ग्राम करवाई तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय दिनांक 14.06.2017

वादी ने अपने इस वाद में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम करवाई पटवार हल्का बस्सी भू0 अ0 नि0 क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी की विवादित आराजी ख0 न0 243 रक्बा 2–00–00 बीघा तथा 244 रक्बा 3–00–00 बीघा कुल किता 2 रक्बा 5–00–00 बीघा में वादी का 1/5 व प्रतिवादी स0 1 का 4/5 हिस्सा निहित है। वादी ने विवादित आराजी का 1/5 हिस्सा दिनांक 30.05.1995 को खातेदार मिठू पुत्र बादर मेरात से खरीद किया था और विक्रेता द्वारा सौपे गये रक्बे पर ही वादी खरीद दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसमें कभी किसी प्रकार का विवाद नही रहा। इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमियों पर शांतिपूर्वक बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। प्रतिवादी स0 1 विवादित भूमियों के अविभाजित होने से वादी को प्रतिदिन परेशान करता है। और वादी की सीमा में भी प्रवेश कर अतिक्रमण कर लेता है। जिससे विवाद की आंशका बनी रहती है। प्रतिवादी अपनी भूमियों को अन्यत्र बेचने पर आमादा हो रहा है। जिसके कारण सामलाती भूमियां होने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाावेगी। प्रतिवादी ने मौके पर कांटे डालकर रास्ते को भी बंद करने की कोशिश की है। बटवारे हेतु प्रतिवादी से निवेदन करने पर मना कर दिया है इसलिए वाद लाने की आवश्यकता है।

वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद स्वीकार कर यह घोषित किया जावे कि विवादित भूमियां में वादी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जिससे प्रतिवादी स0 1 कोई संबध एवं सरोकार नही है। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के मध्य उनके हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउड बटवारा कर तदनुसार राजस्व नक्शे में पृथक पृथक तरमीम कर राजस्व जमाबंदी में अमल दरामद कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के हिस्से की आराजी में दखलंदाजी से निषेध किया जावे।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोर्ट केम्प मु0 हरराजपुरा पर पेश हुई। प्रतिवादी स0 1 ने जवाब पेश करने से मना करते हुए निवेदन किया कि वादी 1

खरीद रोज से विवादित भूमियों पर जिस जगह काश्त करता आया है उस स्थान को राजस्व नक्शे में पृथक से तरमीम कर राजस्व जमाबंदी में वादी का पृथक खाता कायम कर अमल दरामद कर दिया जावे। वादी भी इससे सहमत है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व नक्शे में विवादित आराजियात एक दुसरे से लगायत है। ग्राम करवाई की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता स0 81 में वादी 1/5 हिस्से से तथा प्रतिवादी 4/5 हिस्से से खातेदार दर्ज है। वादी के अनुसार विवादित आराजी का 1/5 हिस्सा उसने दिनांक 30.06.1995 को मिठू वल्द बादर मेरात से खरीदा है। विक्रय पत्र की छाया प्रति अभिलेख पर है। इसी प्रकार प्रतिवादी 1 ने विवादित आराजी के 5 हिस्सेदारों में से हिस्सेदार भंवरा वल्द छोटू मेरात का 1/5 हिस्सा दिनांक 13.05.1980 को एवं 1/5 हिस्सा श्रीमति पतासी बेवा लाला से दिनांक 20.01.1981 को तथा किशना वल्द राजू से दिनांक 02.02.1982 को तथा 1/5 हिस्सा दिनांक 25.05.1993 का खातेदार श्री लाडू वल्द राजू मेरात से खरीद किया है दस्तावेजात की प्रतियां अभिलेख पर उपलब्ध है। प्रकरण पर उपस्थित उभयपक्षान को सुना सुनने के बाद प्रकरण में ध्यान पूर्वक मनन करने पर मैनें पाया कि प्रतिवादी स0 1 ने विवादित आराजी के 4 हिस्से वादी से पूर्व ही खरीद कर अपने 4/5 हिस्सों पर काबिज चला आता है।

जब कि वादी 1/5 हिस्सा सन् 1995 में खरीदा है इसलिए उसकी विवादित आराजी में प्रवष्टी पश्चावर्ती है। वादी के कथनानुसार ही वह उसी स्थान पर काबिज है। जिस दिन उसे बेचान के बाद भूमिका कब्जा संभलाया गया था।

इस स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि विवादित आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी 1 का 4/5 हिस्सा विधमान है। वादी के अनुसार ही वादी खरीद रोज से विवादित आराजी में 1/5 हिस्से की जो भूमि उसे संभलाई गई है वह उसी स्थान पर काबिज चला आता है।

अतः तहसीलदार मसूदा पर यह आदेश पारित कि वह मौके पर जरिऐ माप एवं सीमांकन जिस स्थान पर काबिज हो काबिज रखते हुए इस स्थान का राजस्व नक्शे में पृथक से तरमीम की जाकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वादी के 1/5 हिस्से का पृथक से खाता कायम करे तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि का जरिये माप एवं सीमांकन नाप कर कब्जा संभलाना अन्दर मयाद एक माह पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे। प्रतिवादी स0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के हिस्से की भूमि में दखलंदाजी आदि से निषेध किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: